



सहकारिता विभाग

एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

खरीफ 2021

अधिसूचित फसलें



रैयत किसान

खरीफ 2021 में ऑनलाईन आवेदन/निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए)।
2. आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर (OTP के लिए)।
3. आधार सम्बद्ध बैंक खाता का विवरण।
4. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा राजस्व रसीद।
(31 मार्च 2021 के पश्चात् निर्गत)
5. स्व-घोषणा-पत्र -
(चयनित फसल एवं बुआई क रकबा का सही और पूर्ण विवरण)।
6. आवेदक का फोटो।

धान



मक्का



सोयाबीन



फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएँ

ऑनलाईन
निबंधन
की सुविधा।

1

सभी रैयत एवं गैर
रैयत किसानों
के लिए।

2

सभी प्रमुख
खरीफ फसलें
सम्मिलित

3

निःशुल्क निबंधन
एवं पंजीकरण
प्रक्रिया

4

7500 रु प्रति हेक्टेयर
(20% तक क्षति
होने पर)

5

10000 रु प्रति हेक्टेयर
(20% से अधिक क्षति
होने पर)

6

नोट-

1. रैयत, गैर-रैयत अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं आंशिक रूप से गैर-रैयत श्रेणियों में पंजीकरण/ आवेदन की सुविधा।
2. एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
3. लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
4. सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर एवं सहायता राशि का भुगतान DBA के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में।
5. नगर पंचायत/नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य।

गैर-रैयत किसान

खरीफ 2021 में ऑनलाईन आवेदन/निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए)।
2. आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर (OTP के लिए)।
3. आधार सम्बद्ध बैंक खाता का विवरण।
4. स्व-घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य/कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित)।
5. आवेदक का फोटो।
6. एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2021 का ऑनलाईन निबंधन/आवेदन प्रारंभ है।

सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल <https://state.bihar.gov.in/cooperative> पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदक निबंधन करा सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नं. -
18003456290 / 06122200693
पर सम्पर्क करें।

क्र० सं०	फसल का नाम	निबंधन कराने की अंतिम तिथि
1.	धान	31.07.2021
2.	मक्का	31.07.2021
3.	सोयाबीन (केवल देगुहराव, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में)	31.07.2021